न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 12/2017 सन् 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
कानदास पुत्र नारायण दास जाति साद निवासी जैतीवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री डी. डी. रामावत एडवोकेट उपस्थित।
2. अप्रार्थी सरकार की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10.5.2017

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत होने पर मिसल को ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार है:– प्रार्थी कान दास पुत्र नारायण दास जाति साद निवासी जैतीवास ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया।जिसमें जाहिर किया कि प्रार्थी ग्राम जैतीवास का मूल निवासी है तथा प्रार्थी की आजीविका का मुख्य साधन कृषि कार्य है। प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा में स्थित है। जिसके खसरा संख्या 1183, 1184, 1186, 1187 कुल खसरा 04 कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा है। उक्त भूमि का प्रार्थी सहखातेदार है। जिसमें 1/5 हिस्सा प्रार्थी का तथा 4/5 हिस्सा उसके अन्य सह खातेदारान का है प्रार्थी का वास्तविक नाम कानदास है इसी अनुसार प्रार्थी का नाम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, अंक तालिका/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिवार कार्ड में दर्ज है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत का इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी सुदा है। जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। चूंकि प्रार्थी को बचपन में प्रेमदास के नाम से पुकारा जाता था। कालान्तर में विद्यालय में प्रवेश के समय प्रार्थी का नाम कानदास दर्ज करवाया। इसी अनुसार प्रार्थी के सभी प्रमाण पत्र जारी है। किन्तु राजस्व रैकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा संयोगवश प्रार्थी का नाम वास्तविक नाम के बजाय कानदास के स्थान पर प्रेमदास दर्ज कर दिया गया है। जिसकी ताईद में वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कानदास समस्त अन्य दस्तावेजात में मूल रूप से दर्ज है जो कि सही एवं दूरस्त नाम है एवं प्रार्थी उसी नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाता है। जबकि राजस्व रैकर्ड में दोषपूर्ण नाम प्रेमदास दर्ज है जिसके चलते प्रार्थी बैंक सुविधा व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित है। जिसके लिये राजस्व रैकर्ड दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे जाहिर किया कि रैकर्ड दुरूस्ती किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रार्थना पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, अंकतालिका, परिवार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र वगैरा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे न्यायालय क्षेत्राधिकार, प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद व उचित न्यायालय शुल्क पर पेश करना जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र के अन्त में जाहिर किया कि ग्राम जैतीवास स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1183, 1184, 1186, 1187 कुल खसरा 04 कुल रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा में प्रार्थी का नाम प्रेमदास पुत्र नारायण दास जाति साद निवासी जैतीवास बाबत दुरुस्ती कर उक्तानुसार राजस्व रैकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश जारी करावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टिकरण हेतु अपना तस्दीक सुदा शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीक सुदा प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा पर जारी नोटिस 21.4.2017 को तामिल हुआ मगर नियत तारीख पेशी पर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया। तारीख पेशी पर सरकारी पैरोकार तहसीलदार बिलाड़ा स्वयं उपस्थित आये एवं जाहिर किया कि प्रार्थी का नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, अंक तालिका/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिवार कार्ड के अनुसार प्रेमदास के स्थान पर कानदास ही है एवं इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत जैतीवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार भी प्रार्थी का नाम कानदास ही है। तहसीलदार बिलाड़ा ने जाहिर किया कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम प्रेमदास के स्थान पर दस्तावेजी सबूतों के आधार पर कान दास किया जाता है तो इसमें सरकार का कोई हक प्रभावित नहीं होगा।

उपखण्ड अधिकारी

हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, अंक तालिका/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, परिवार कार्ड एवं ग्राम पंचायत जैतीवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का वास्तविक नाम कान दास पुत्र नारायणदास जाति साद निवासी जैतीवास है मगर सैवन से प्रार्थी का नाम राजस्व रैकर्ड में **प्रेमदास** दर्ज कर दिया गया है। जिसकी रिकार्ड दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 तक के खाता संख्या 400 में उल्लेखित खातेदार रणछोड़ दास पि. बालू दास, कालू दास पि. नवला राम, रतन दास पि. बंशी दास, भेरू दास पिसरान किशन दास, प्रेम दास पि. नारायण दास जाति साद साकिन देह खातेदार के स्थान पर अन्य इन्द्राज यथावत रखते हुए **प्रेम दास** पि. नारायण दास जाति साद साकिन देह खातेदार की जगह **कान दास** पि. नारायण दास जाति साद साकिन देह खातेदार की रिकार्ड दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है कि उक्त रिकार्ड दुरूस्ती के अनुसार राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तरकरण के अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावे। तहसीलदार बिलाड़ा को इस निर्णय की प्रति के साथ तेहरीर पालना हेतु भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तामिल दफ्तर दाखिल हो।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10-5-2017 को मेरे निर्देशन में कम्प्यूटर से टंकित करवाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सत्यापित प्रतिलिपि
10-5-2017
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा (जोधपुर)